न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 04/2021
दायर दिनांक :– 04.01.2021

अनवान

श्री मोती लाल पिता चन्दा सिंह उर्फ हरचन्दा मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर

प्रार्थी..........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 08.09.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम पांचा का बाडा प. ह. विन्ध्याभाटा की आ.न. 3232 रकबा 1.17 बीघा हरचन्दराम, गोकलराम पिता गोरू 1/2. रामदयाल पिता कालूराम 1/2 नि. लाला का बाडा के नाम पर खातेदारी से स्थित है। ग्राम विन्ध्याभाटा प. ह. विन्ध्याभाटा की आराजी न. 1699, 1702, 1709, 3914, 4039, 4136 कुल किता 6 रकबा 9.05 बीघा कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख मे हरचन्द, गोकुल पिता गोरू मीणा नि. हनुमान का बाडा के नाम दर्ज है। हरचन्द उर्फ चन्दा सिंह की दिनांक 21.08.2015 की मृत्यु हो गई हरचन्दा उर्फ चन्दा के वारीस उसकी पत्नि, पुत्र, पुत्रिया मौजुद है। प्रार्थी के पिता चन्दा सिंह के घर का नाम हरचन्दा हैं इस कारण राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम चन्दा सिंह के स्थान पर हरचन्दा लिख दिया गया। प्रार्थी के पिता के दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र सभी मे चन्दा सिंह पिता गोरू लिखा हुआ है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में चन्दा सिंह के बजाय हरचन्द लिखा जाने से प्रार्थी न तो अपने नाम पर नामान्तरण खुलवा पा रहा हैं न ही किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर पा रहा हैं। इसलिये उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम हरचन्द पिता गोरू के बजाय चन्दा सिंह पिता गोरू नाम शुद्वी कराना फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
(जहाजपुर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर कि तरफ से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. 42/2020 में अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें नाम शुद्ध करने की अनुशंषा की गई। साक्ष्य स्वरूप नगर पालिका जहाजपुर की तस्दीक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली के संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम हरचन्द पिता गोरू के बजाय हरचन्द उर्फ चन्दा सिंह पिता गोरू नाम में शुद्वी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम हरचन्द पिता गोरू के बजाय हरचन्द उर्फ चन्दा सिंह पिता गोरू दर्ज शुद्वी किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पांचा का बाडा प. ह. विन्ध्याभाटा की आ.न. 3232 रकबा 1.17 बीघा तथा ग्राम विन्ध्याभाटा प. ह. विन्ध्याभाटा की आराजी न. 1699, 1702, 1709, 3914, 4039, 4136 कुल किता 6 रकबा 9.05 बीघा में प्रार्थी के पिता का नाम हरचन्द पिता गोरू के बजाय हरचन्द उर्फ चन्दा सिंह पिता गोरू दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Scanned with CamScanner